राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः– एफ3(2)जांच/पराविं/करौली/87/385 जयपुर,दिनांक 18-1-08

आदेश

श्री रमेश राजौरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत करसाई, पंचायत समिति करौली, जिला करौली के विरूद्व पद का दुरूपयोग करने एंव निर्धारित सीमा से अधिक राशि अपने पास रखने एंव 10 माह बाद राशि जमा कराने के कारण ब्याज की वसूली सबंधी प्राप्त शिकायत की विस्तृत जांच अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली द्वारा की जाकर अपने पत्रांक 5172 दिनांक 1.11.07 से विभाग को प्रेषित कि गई, जिसमें आरोप संख्या 5 व 6 को प्रमाणित माना गया है। आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण आरोपी सरपच को परिनिर्णय लेखबद्व नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया।

आरोपी सरपच द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर तत्समय चल रहे निर्माण कार्यो के पेटे ही राशि पंचायत कोष में रखे जाने एंव राज्य हित में उपयोग किया जाना वर्णित करते हुये राशि का निजी उपयोग नही करना व कार्यकाल समाप्त हुये भी 20 वर्ष का समय व्यतित होना बताया तथा यह भी अवगत कराया कि निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज की राशि ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान आडिट रिपोर्ट में निकाली गई होगी उसको तत्समय जमा कराया जा चुका होगा। यह भी अवगत कराया है कि ब्याज की राशि 500/–रूपये ग्राम पंचायत कोष में रसीद संख्या 35 दिनांक 7.12.07 के द्वारा जमा करायी जा चुकी है चूंकि आरोपी सरपंच द्वारा ब्याज की राशि जमा करायी जा चुकी है इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा राजकीय राशि को उपयोग में लिया गया तथा जांच में आरोप प्रमाणित होने पर राशि जमा करायी गई है।

अतः राज्य सरकार प्रकरण के अवलोकन/परीक्षण करने के उपरान्त श्री रमेश राजौरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत करसाई, पंचायत समिति करौली, जिला करौली के विरूद्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा परिनिर्णय लेखबद्व (निष्कर्ष अभिलिखित) किये जाने के आदेश प्रदान करती है।

राज्य सरकार की आज्ञा से

(खेमराज)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर।
3. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि राजपत्र के आगामी अंक के भाग 6(ग) में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली।
6. सम्पादक, राजस्थान विकास, मुख्यालय,
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली जिला करौली ।
8. श्री रमेश राजौरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत करसाई, पंचायत समिति करौली, जिला करौली
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अधर शासन सचिव (आंज)